कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

प्रशा0 आदेश संख्या 106/2025
दिनांक 22, अप्रैल 2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 4379/एडमिन (ई–।) अनुभाग/एक्स.सी.–4/2025 दिनांक 11.04.2025 द्वारा दिनांक 14.04.2025 (सोमवार) को डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, जिस कारण प्रशासनिक आदेश संख्या 09/2025 दिनांक 09.01.2025 द्वारा घोषित दिनांक 14.04.2025 डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती का स्थानीय अवकाश निरस्त कर इसके स्थान पर दिनांक 08.08.2025 (शुक्रवार) को रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी उपरोक्त पत्र के अनुपालन में दिनांक 28.06.2025 को चतुर्थ शनिवार को मुख्यालय, वाह्य न्यायालय खुर्जा, अनूपशहर तथा ग्रामीण न्यायालय, स्याना व डिबाई बुलन्दशहर न्यायिक कार्य हेतु खुलेगें।

इस आदेश की एक–एक प्रति वाह्य स्थित न्यायालय खुर्जा, अनूपशहर व ग्रामीण न्यायालय, स्याना व डिबाई तथा सभी बार एसोसिएशन को प्रेषित की जावे। केन्द्रीय नाजिर, मुख्यालय व उपनाजिर वाह्य स्थित न्यायालय, खुर्जा व अनूपशहर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश की एक छायाप्रति सूचना पट पर चस्पा करें। समस्त न्यायिक अधिकारीगण व समस्त कर्मचारीगण के मध्य प्रचालित हो।

(मंजीत सिंह श्योराण)
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
22.04.2025